



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01052023-245561
CG-DL-E-01052023-245561

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1907]

No. 1907]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 1, 2023/वैशाख 11, 1945

NEW DELHI, MONDAY, MAY 1, 2023/VAISAKHA 11, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मई, 2023

सं. 4/2023

विषय: वित्त विधेयक, 2023 के अंतर्गत किए गए संशोधनों के परिणामस्वरूप दिनांक 01.05.2023 से आरओडीटीईपी अनुसूची का पुनःसंरक्षण।

का.आ. 1995(अ.)—विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा परिशिष्ट 4द में दिनांक 01.05.2023 से निम्नलिखित परिवर्धन/संशोधन करती है:

i. आरओडीटीईपी अनुसूची में 8 अंक स्तर पर 149 प्रशुल्क लाइनों को जोड़ा जाता है।

ii. आरओडीटीईपी अनुसूची से 8 अंक स्तर पर 52 प्रशुल्क लाइनों को हटाया जाता है।

2. उपर्युक्त पैरा में यथा उल्लिखित एचएस कोड आरओडीटीईपी दरों/अधिकतम मूल्य सीमा के साथ डीजीएफटी के पोर्टल www.dgft.gov.in पर रेगुलेटरी अपडेट्स > आरओडीटीईपी लिंक के अंतर्गत उपलब्ध है।

इस अधिसूचना का प्रभाव: वित्त विधेयक 2023 के अधिनियमन के परिणामस्वरूप आरओडीटीईपी अनुसूची (परिशिष्ट 4द) में दिनांक 01.05.2023 से कतिपय परिवर्तन किए जा रहे हैं ताकि इसे सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम की प्रथम अनुसूची के साथ संरेखित किया जा सके।

[फा. सं. 01/61/180/155/एएम21/पीसी-3]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st May, 2023

No: 04/2023

Subject : Realignment of RoDTEP Schedule w.e.f 01.05.2023 consequent to amendments made under Finance Bill, 2023

S.O. 1995(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 read with Para 1.02 of the Foreign Trade Policy 2023, the Central Government hereby makes the following additions/amendments in Appendix 4R w.e.f 01.05.2023:

- i. 149 tariff lines at 8 Digit level are added in the RoDTEP schedule
- ii. 52 tariff lines at 8 Digit level are deleted from the RoDTEP Schedule

2. The details of HS codes as in Para above along with RoDTEP rates/value caps are available at the DGFT portal www.dgft.gov.in under the link 'Regulatory Updates >RoDTEP'.

Effect of Notification:- Consequent to enactment of Finance Bill, 2023, certain changes in RoDTEP Schedule (Appendix 4R) are being made w.e.f 01.05.2023 to align it with the First Schedule of the Custom Tariff Act.

[F. No. 01/61/180/155/AM21/PC3]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade
& Ex-officio Addl. Secy.